अमझेरा राज्य की जागीरों की प्रशासनिक व्यवस्था

शोधार्थी (इतिहास)
दिवाकर सिंह तोमर
श्री नटनागर शोध संस्थान
सीतामऊ, मंदसौर (म.प्र.)
दे.अ.वि.वि. इन्दौर(म.प्र.)

अमझेरा वर्तमान समय में धार जिले के सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसकी स्थापना 1604 ई. में राव जगन्नाथ ने की थी।[1] इतिहास में इसकी प्रसिद्धी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव बख्तावर सिंह जी की वजह से है। ये अंग्रेजों से बहुत ही वीरता और बहादुरी के साथ लड़े थे एवं 10 फरवरी 1858 ई. को शहीद हुए।[2] इनकी शहादत के प्रति देश सदैव नतमस्तक रहेगा।

10 फरवरी 1858 ई. के बाद अमझेरा राज्य को पॉलिटिकल असिस्टेंट और भील एजेन्ट कैप्टन हचिंसन के अन्तर्गत कर दिया गया। सिंधिया को 35000 हाली रूपये का भुगतान किया गया जबकि इस समय अमझेरा राज्य की अनुमानित आय 3 लाख रूपये थी।[3] अमझेरा का ग्वालियर राज्य का सहायक राज्य होने के कारण सिंधिया महाराज ने अमझेरा के विलय की मंशा ग्वालियर राज्य में जताई।[4] इसी कारण आगरा दरबार में 30 नवम्बर 1859 को लार्ड कैनिंग ने सिंधिया राजा को अमझेरा की जागीर दी।[5]

महाराज ने लशकर पैलेस में एक बड़ा दरबार आयोजित किया जिसमें जागीर आदि की सनद प्रदान की जिन जागीरों की सनद प्रदान की गई थी उनकी कीमत लगभग 1,07,000 थी।[6] महाराजा साहब सिंधिया ने अपने भाई बंधुओं को अमझेरा में अच्छी आमदनी के गांव वितरित किए। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

यशवंतराव घोरपड़े के पुत्र यादवराव साहब को खानदान परवरिश के लिए अमझेरा के चार मौजे[7] राजोद, झीजाटा, नदलाई, अनंदखेड़ी ईनाम में मिले।[8] खानदान जिंसीवाले साहब के अन्तर्गत जयाजी राव साहब के द्वारा सन् 1860 ई. में बलवंतराव जी को अमझेरा जिला का रिंगनोद कस्बा मिला जिसकी आमदनी देने के वक्त 12000 सिक्का गढ़ थी।[9] खानदान माधवराव फाल्के साहब को सन् 1860 ई. में जयाजीराव साहब द्वारा अमझेरा जिले में चार बड़े गांव दिए गए जिनकी आमदनी 1200 सिक्का गढ़ थी।[10] जयाजीराव सिंधिया के द्वारा जगदेवराव माहोरकर को परगने अमझेरा के

अन्तर्गत 6 बड़े ग्राम समूह दिए गए जिनकी आमदनी 12000 सिक्का गढ़ थी। खानदान राव राजे साहब के अन्तर्गत जयाजीराव सिंधिया ने 5 नवम्बर 1860 ई. को दिनकरराव रघुनाथ को अमझेरा जिले के अन्तर्गत बड़े ग्राम समूह दिए गए। इसकी आमदनी 30420 रूपये 4 आना 9 पाई थी।[11] खानदान काका साहब शिंदे के अन्तर्गत सन् 1861 ई. में महाराजा जयाजीराव साहब ने रानोजी राव शिंदे को अमझेरा जिले में दो मवाजियात दिए जिनकी आमदनी 2000 सिक्का गढ़ थी।[12] खानदान अवाड़ साहब के बाबू साहब को महाराजा जयाजीराव साहब ने सन् 1860 ई. में वंश परम्परा के आधार पर मौजा लावरया की जागीर दी जिसकी आमदनी 2000 सिक्का गढ़ थी। दूसरा मौजा धुलाखेड़ी को 19 फरवरी 1862 को दिया गया। इसकी आमदनी 3452 रूपया और 14 आना थी। महाराजा जयाजीराव साहब ने संवत् 1860 ई. तानीबाई को मौजा भावगढ़ जिला अमझेरा की जागीर दी गई जिसकी आमदनी 2001 थी और 1913 ई. के लगभग 4650 रूपया 7 आना 9 पाई कलदार है। महाराजा जयाजीराव साहब ने सन् 1878 ई. को अमझेरा परगना के अन्तर्गत सीताबाई को जागीरें दी जिसकी आमदनी 3011 रूपये थी।[13] सन् 1860 ई. में महाराजा जयाजीराव साहब ने माधवराव बालकृष्ण खोत मौजा लावदा परगना अमझेरा के अन्तर्गत जागीरें दी जिसकी आमदनी 1000 रूपये थी।[14] 1860 ई. में वंश परम्परा के तहत मौजा खामलिया व अमलीपुरा जिनकी आमदनी 1000 रूपया थी।[15] हालात हरबाजीराव चव्हान के अन्तर्गत गणपतराव को महाराजा जयाजीराव साहब ने सन् 1860 ई. में वंश परम्परा के तहत गोविंदपुरा व खेरला की जागीर दी जिनकी आमदनी 1000 रूपये थी।[16] बालाजी पंत साहब को वंश परम्परा के तहत सन् 1860 ई. में मौजा बरमंडल जिला अमझेरा में दिए जिसकी आमदनी 5000 सिक्कागढ़ थी।[17] मुहम्मद हुसैन ने सन् 1857 ई. की क्रान्ति के समय खजाने की रक्षा की थी। इस कारण महाराजा जयाजीराव साहब ने सन् 1860 ई. में वंश परम्परा के तहत 5 मौजे अमझेरा में दिये।[18] हालात अमृतराव वासुदेव के अन्तर्गत रामचन्द्र बाजीराव को जयाजीराव साहब ने सन् 1864 ई. में वंश परम्परा के तहत तीन मौजे दिए जिनकी आमदनी 2000 सिक्का गढ़ थी।[19] हालात विश्वनाथ शंकर के तहत मौजा बोधली बामनराव जी को महाराजा जयाजीराव साहब ने सन् 1860 ई. वंश परम्परा के तहत मौजे बोधली व दो मवाजियात टांका हनुमंत्या व जोलाना जो उनके मातहत हैं इसकी आमदनी 2000 गढ़ थी।[20] हालात दत्तात्रय निवास के अन्तर्गत सन् 1860 ई. में श्रीनिवास गोविंद खड़तकर को जयाजीराव साहब ने सन् 1860 ई. में संवत 1917 को वंश परम्परा के तहत मौजा महापुरा एवं टांका टिमायची मोलाना व हनुमंत्या जिनकी आमदनी 2000 गढ़ थी।[21] खानदान

माधवराव वासुदेव साहब के अन्तर्गत सर दिनकरराव साहब को सन् 1860 में जिला अमझेरा के अन्तर्गत तीन मवाजियात जिनकी आमदनी 2000 थी दी।[22]

अमझेरा राज्य की जागीरें जो स्थानीय राजपूत जागीरदारों के अन्तर्गत रखी गई। उनका विवरण निम्नलिखित है।

ठिकाना **अ[23]**	**जागीदार**	**आमदनी**
छड़ावद **ब[24]**	उदेसिंह	2737—3—0
गोदीखेड़ा	केसरसिंह	318—7—1
दत्तीगांव	बिजेसिंह	13906—1—9
मांगोद	नाथूसिंह	538—8—1
बालीपुर	डोंगरसिंह	30987—7—1
सलवा	दौलतसिंह	871—0—0
सिरसी	मूलसिंह	1696—8—3
सेमल्या ब	साईल सिंह	545—0—0
चिचोड़्या	नवलसिंह	844—0—0
जोलाना	दौलतसिंह	2050—00
दंतोली	माधोसिंह	1108—00
मोलाना	कुबेरसिंह	1673—00
हनुमंत्याकाग	परतापसिंह	1074—00
हनमंत्या सिंगेसर शिकमी अ[25]	भैरोसिंह	542—00

चोटिया बालोद	दीपसिंह	1776–15

अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाली जागीरों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है:–

1) ठिकाना दंतोली :–

वर्तमान समय में दंतोली ठिकाना धार जिले में सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत है। इस ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह सरदारपुर तहसील से पूरब दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दंतोली अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आता है। यह ठिकाना रामराव के आठवें पुत्र महेशदास के वंशज केसरीसिंह के वंश में चला आ रहा था।[26] 1858 ई. में विलय के समय इस ठिकाने का जागीरदार परबत सिंह था।[27] दंतोली ठिकाने का क्षेत्रफल 2740–16 रकबा बीघा था।[28]

2) ठिकाना मोलाना :–

ठिकाना मोलाना वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इस ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। राव जसवंत सिंह के छठे पुत्र महासिंह से मनावर छूटने के बाद उसके पौत्र विजय सिंह के पुत्र दुले सिंह को मोलाना की जागीर मिली।[29] सन् 1858 ई. में इस ठिकाने के जागीरदार ठाकुर हमीर सिंह जी थे।[30] तारीख ग्वालियर जयाजीराव के अनुसार इस ठिकाने का क्षेत्रफल 6213–19 रकबा बीघा थी।

3) ठिकाना जोलाना :–

यह वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। सबल सिंह की मृत्यु के पश्चात जोलाना उसके पौत्र रघुनाथ सिंह के पुत्र मानसिंह को सं. 1807 सन 1750 ई. में 4 गांव जोलाना, कालीकश नवोपुरा तथा रघुनाथपुरा मिला। इसमें भीला के पाड़ा के 10 गांव सम्मिलित थे।[31] 1858 ई. में ग्वालियर राज्य में विलय के समय इस ठिकाने का ठिकानेदार अभयसिंह था।[32] जोलाना ठिकाने की पैमाइश नहीं हुई थी इस कारण इस ठिकाने का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है।

4) ठिकाना छड़ावद :–

वर्तमान समय में छड़ावद ठिकाना धार जिले में सरदारपुर तहसील अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह सरदारपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 11 कि.मी. दूर है। फतेहसिंह को रिंगनोद छूटने के बाद सन् 1648 ई. में अमझेरा राज्य के अन्तर्गत छड़ावद की जागीर मिली।[33] ग्वालियर तारीख जागीरदारान के अनुसार छड़ावद ठिकाने का क्षेत्रफल 1700 बीघा था। सन् 1858 ई. में इस ठिकाने के विलय के समय इस ठिकाने का स्वामी भीमसिंह था।

5) ठिकाना दत्तीगांव :–

वर्तमान समय में ठिकाना दत्तीगांव धार जिले के सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह सरदारपुर से लगभग 13 कि.मी. की दूरी पर है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना दत्तीगांव के जागीरदार रामोत जोधा राजपूत राठौड़ है। अमझेरा के महाराजा जयरूप सिंह के द्वितीय पुत्र चिमनसिंह को भाईबांट में दत्तीगांव की जागीर मिली थी।[34] सन् 1858 में जागीर के विलय के समय इस ठिकाने का जागीरदार बलवंत सिंह था।

6) ठिकाना संदला :–

संदला ठिकाना वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। यह सरदारपुर तहसील से 32 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना संदला की जागीर भी रामोत जोधा राजपूत राठौड़ को ही मिली थी। यहां के जागीरदार छड़ावद ठिकाने के भाई बंधु थे। छड़ावद ठिकाने के संस्थापक फतेहसिंह के दो लड़के थे। ज्येष्ठ पुत्र अभयसिंह छड़ावद की गद्दी पर बैठा व दूसरे लड़के कीरतसिंह को संदला की जागीर दी गई।[35] 1858 ई. में ग्वालियर राज्य में विलय के समय फतेहसिंह संदला का जागीरदार था।[36] सन् 1913 ई. में जागीर का क्षेत्रफल 6551.1 तथा आमदनी 2015 रकबा बीघा तथा आमदनी 2015 कलदार तथा जनसंख्या 500 थी।

7) ठिकाना बालीपुर :–

ठिकाना बालीपुर वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत मनावर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह मनावर तहसील से लगभग 6–7 किलोमीटर की दूरी पर है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना बालीपुर के जागीरदार रामोत मालदेओत जोधा राठौड़

है। इस ठिकाने का क्षेत्रफल 9999 बीघा एवं 6 बिसवा था। इसकी आमदनी 3098 रूपये 7 पाई एवं 1 आना थी। इसकी कुल जनसंख्या 1178 थी।

8) ठिकाना सिरसी :—

यह वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत मनावर तहसील के अन्तर्गत आता है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाला ठिकाना सिरसी के जागीरदार भी रामोत मालदेओत जोधा राठौड़ है। राव राम के पुत्र महेशदास के वंशज बेरीसाल को सिरसी गांव की जागीर दी गई।[37] इस ठिकाने का क्षेत्रफल 1719 बीघा 17 बिसवा था। इस ठिकाने की कुल आमदनी सन् 1913 ई. के लगभग 1686 रूपये 8 आना 3 पाई थी।

9) ठिकाना चोटियाबालोद :—

अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना चोटिया बालोद के जागीरदार भी श्री रामोत मालदेवोत जोधा राठौड़ है। जोलाना के ठाकुर रघुनाथ सिंह राठौड़ के चार लड़के थे। मानसिंह, शिवसिंह व अनूप सिंह व नाथूराम। ज्येष्ठ पुत्र शिवसिंह को बालोद गांव की जागीर दी गई।[38] सन् 1858 ई. में इस जागीर के विलय के समय इसका जागीरदार सौभाग्य सिंह था। इस ठिकाने का क्षेत्रफल 10761 बीघा 12 बिसवा था।

10) ठिकाना सैमल्या :—

अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाला ठिकाना सैमल्या के जागीरदार भी रामोत मालदेवोत जोधा राठौड़ हैं तथा ठिकाना सलवा के भाई हैं। सलवा के ठाकुर प्रतापसिंह के द्वितीयपुत्र कुबेरसिंह को सैमल्या की जागीर मिली थी।[39] सन् 1858 ई. में ठिकाने के विलय के समय इस ठिकाने का जागीरदार भवानीसिंह था।[40] इस ठिकाने का क्षेत्रफल 4842 बीघा 17 बिस्वा था।

11) ठिकाना सलवा :—

ठिकाना सलवा वर्तमान समय में धार जिले में सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह सरदारपुर से लगभग 32 कि.मी. की दूरी पर उत्तर दिशा में है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाले ठिकाना सलवा के जागीरदार रामोतमालदेवोत जोधा राठौड़ है। यह ठिकाना मोलाना के भाई है। मोलाना के ठाकुर दुलेसिंह के तीसरे पुत्र प्रताप सिंह

को सलवा की जागीर मिली।[41] ग्वालियर राज्य में विलय केस मय इस ठिकाने का ठिकानेदार औंकारसिंह था। इस ठिकाने का क्षेत्रफल 7847 बीघा तथा जनसंख्या 124 थी।

12) ठिकाना गोंदीखेड़ा :—

वर्तमान समय में गोंदीखेड़ा धार जिले में सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। इसे ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है। यह सरदारपुर से लगभग 5 कि.मी. दूर है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाला ठिकाना गोंदीखेड़ा के जागीरदार रामोत मालदवोत जोधा राठौड़ है। ये ठिकाना जोलाना के भाई थे। ठाकुर कनकसिंह के तृतीय पुत्र जालमसिंह को गोंदीखड़ा सन् 1825 ई. में जागीर मिली।[42] इस ठिकाने का क्षेत्रफल 1375 बीघा तथा 6 बिस्वा था।

13) ठिकाना चीचोड़िया :—

यह वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। चीचोड़िया के जागीरदार भी रामोत मालदेवोत जोधा राठौड़ है। ये गलोंदा के भाई है। गलोंदा के ठाकुर खुशालसिंह के द्वितीय पत्र राजसिंह को चीचोड़िया की जागीर मिली थी।[43] अमझेरा राज्य का जब ग्वालियर स्टेट में विलय हुआ तो इस जागीर का जागीरदार केसरीसिंह था।[44] इस ठिकाने का क्षेत्रफल रकबा बीघा 3062 एवं 3 बिस्वा था।

14) ठिकाना गलोंदा :—

गलोंदा वर्तमान समय मे धार जिले के सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। अमझेरा राज्य के अन्तर्गत आने वाला ठिकाना गलोंदा के जागीरदार रामोत मालदेवोत भावसिंह को गलोंदा की जागीर मिली थी।[45] अमझेरा का ग्वालियर स्टेट में विलय के समय इस ठिकाने का जागीरदार नाहरसिंह था।[46] इस ठिकाने का क्षेत्रफल 1677 बीघा 16 बिसवा था।

15) ठिकाना हनुमंत्या काग :—

अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना हनुमंत्या काग के जागीरदार भी रामोतमालदेवोत जोधा राठौड़ है। छड़ावद के ठाकुर दौलतसिंह के द्वितीय पुत्र जेतसिंह को हनुमंत्या काग की जागीर मिली थी।[47] इस जागीर के ग्वालियर राज्य में विलय के समय यहाँ का जागीरदार हमीरसिंह था। इस ठिकाने का क्षेत्रफल 3685—19 पैमायशी बीघा था।

16) ठिकाना तिरला :–

अमझेरा राज्य के अन्तर्गत ठिकाना तिरला के जागीरदार भी रामोत मालदेवोतजोधा राठौड़ है। ये छड़ावद के भाई है। यह तिरला गांव राव जगरूप जो रिंगनोद में रहता था के छोटे पुत्र उम्मेद सिंह को मिला था।[48]

17) ठिकाना हनुमंत्या श्रृंगेश्वर :–

यह वर्तमान समय में धार जिले के अन्तर्गत सरदारपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। यह मोलाना ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। यह सरदारपुर तहसील से लगभग 20 कि.मी. दूर है। सन् 1858 ई. में जब अमझेरा ब्रिटिश कब्जे में था तो हटेसिंह इस जागीर का जागीरदार था।

सिंधिया शासनकाल में धारण की गई भूमियों को तीन शीर्षों में विभक्त किया जा सकता है।

1) गारंटीशुदा ठिकाने या जागीरें।

2) राज्य जागीरें इस्तमरारदारी, टांकेदारी, उबारीदार, माफीदार आदि में विभाजित थी।

3) जमीदारी।

प्रथम वर्ग में आने वाली जागीरें वे थीं जो भूतपूर्व मराठा शासकों द्वारा अधिकांशत'राजपूत सरदारों को दी गई थी। राज्य जागीरे सिंधिया शासन से प्राप्त होती थी उनके मालिक या तो राजपरिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते थे या प्रतिष्ठित अधिकारी और ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्होंने राज्य की उल्लेखनीय सेवा की हो। इन्हें पहले या दूसरे दर्जे के सरदार कहा जाता था।[49]

जागीर क्षेत्रों का प्रबंध जागीरदारों द्वारा किया जाता था और उनमें से कुछ को राजस्व न्यायिक तथा पुलिस के अधिकार भी दिए गए थे यदि कोई जागीरदार नाबालिग होता था तो या विधवा होती थी या जागीरदार गम्भीर कुप्रबंध अवज्ञा या ऐसी ही अन्य बातों का दोषी पाया जाता था तो जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकर में दे दी जाती थी। इस विभाग को पहले महकमा सदर सुपुर्दगी कहा जाता था जो 1881 में बना था बाद में 1885 में इसे कोर्ट ऑफ वाड्स नाम दिया गया। जागीरदारों द्वारा प्रबंधित जागीरों के प्रशासन में सुधार करने की दृष्टि से 1908 मे एक पृथक विभाग बनाया गया और उसे एक अधिकारी जिसे मुंतजिम जागीरदारान कहा जाता था के अधिकार में दिया गया इसके दो उप कार्यालय में एक उज्जैन में एक शिवपुरी में। अमझेरा जिले

की जागीरें उज्जैन स्थित उप कार्यालय के अधीन आती थी। इसके पश्चात 1937–38 में कोर्ट ऑफ वार्डस विभाग को मुंतजिम जागीरदारान के विभाग से मिला दिया गया और मुंतजिम जागीरदारान नामक अधिकारी जागीर तथा कोर्ट ऑफ वार्ड्स दोनों ही विभागों के प्रमुख में रहा।[50]

दरबारे मोअल्ला और जागीरदारों के बीच सम्बन्धों को तीन भागों में बांट सकते हैं।[51]

1) 1886 से पहले सम्बन्ध।

2) 1886 के बाद से सन् 1894 तक सम्बन्ध।

3) 1894 से बाद का सम्बन्ध।

पीरियड नं. 1. :– 1886 से पहले जागीरों में ज्यादा दखल न था और न ही सरकारी ओहदों में इनमें काम लिया जाता था।

पीरियड नं. 2 :– सन् 1886 ई. में जब कौंसिल ऑफ रीजेंसी कायम हुई तो कौंसिल ने भी जरूरतें वक्त के लिहाज से इंतिजामे रियासत में बहुत से सुधार किए।

पीरियड नं. 3 :– दिसम्बर सन् 1894 ई. में जब कौंसिल ऑफ रीजेंसी का जमाना खत्म हुआ और हुजूरे मोअल्ल ने जब सल्तनत अपने हाथ में ली तो दरबार ने रियासत के इंतजाम की हर शाखा तो निहायत गौर और फिक्र के साथ अध्ययन किया। इसके बाद संवत 1963 में खास तौर पर इसी तबके के लिए पॉलिटिकल डिर्पाटमेंट में अव्वल एक अलहदा सेक्शन कायम फरमाया जिसमे ंखास तौर पर इसी तबके मामले की देखभाल होकर दरबार की खिदमत में पेश होने लगे और फिर उसी सेक्शन का अण्डर सेक्रेटरी भी अलहदा मुकर्रर फरमा दिया गया ताकि पूरी तवज्जों के साथ मामलों का निराकरण हो और संवत 1965 में एक अलहदा मेहकमा मुंतजिम जागीरदारान के नाम से काइम फरमा दिया।[52]

1) मुंतजिम साहब जागीरदारान का फर्ज होगा कि वह जागीरदारों को हुजूर मोअल्ला रूपरू पेश करे और उनकी मुलाकात कराए।

2) जागीरदारान अगर किसी मामले में मुंतजिम साहब के नेक मशविरे से फायदा उठाना चाहे तो उनको सलाह नेक दे।

3) हिस्सेदारों या भाई बंधों में झगड़ा हो तो मुंतजिम साहब झगड़ा रफा करने की कोशिश करे।

जागीरदारा की मृत्यु होने पर दाखिल खारिज के सम्बन्ध में कार्रवाही।

- ठिकाने के खानदान के मुखिया का कर्तव्य होगा कि वह जागीरदार की मृत्यु की सूचना मुंतजिम साहब जागीरदारान को तार अथवा चिट्ठी द्वारा सूचित करे।
- किसी जागीरदार की मृत्यु की सूचना मिलने पर ऐसी जागीर जिसकी आमदनी पांच हजार रूपये से ज्यादा हो तो मुख्यजागीरदार खुद फौरन ठिकाने पर या जागीरदार की खास जगह रहने पर मामलात की हालत देखने के लिए जाएंगे। यदि आमदनी पांच हजार रूपये से कम हो तो उस जिले से सूबा साहब जिसमें वह जागीर आती हो तो मामले की हालत देखने जायेंगे।

दाखिल खारिज के सम्बन्ध में कार्रवाही :–

- मुंतजिम साहब जागीरदारान का यह कर्तव्य होगा कि पांच हजार या उससे कम आमदनी के ठिकाने से मृत्यु की सूचना मिले तो सूचना मिलते ही सूबा साहब को सूचना दी जाए।
- यदि वारिस कानूनी नाबालिग हो तो उसके सरपरस्त को जरूरी निर्देश दिए जायेंगे कि दाखिल खारिज के होने तक के आदेशों का पालन किया जाए।
- यदि वारिस कानूनी मौजूद न हो तो ऐसे व्यक्ति या इंतजाम किया जाएगा कि बेवा के मशविरे से जायदाद का इंतजाम करे।
- जागीरदार का कोई वारिस कानूनी नहीं है तो ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स की निगरानी में रखा जाएगा।
- जागीरदार की मृत्यु के छः माह के अंदर दाखिल खारिज की दरख्वास्तें उस फार्म पर जो जमीमा अ में दिया गया है। दाखिल होनी चाहिए।
- यदि वारिस दी गई अवधि के अन्दर दरख्वास्त न दे तो अवधि गुजरने पर जायदाद दरबार की निगरानी में से ली जायेगा।

जागीरदारों द्वारा कर्ज आदि लेने के नियम[53] :–

- यदि किसी जागीरदार को कर्ज आदि लेने की जरूरत महसूस हो तो जागीरदार फार्म जमीमें ई में दरबार में मुंतजिम साहब जागीरदारान के माध्यम से दरबार में अपनी अर्जी दे सकता है। गवर्नमेंट खुद कर्जा दे या इस बात की इजाजत दे कि किसी शख्स से रूपया लिया जावे।
- गवर्नमेंट ने यदि इस बात की मंजूरी दी है कि जागीरदार किसी व्यक्ति से कर्जा ले तो कर्ज के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
- जागीरदार द्वारा कर्ज न चुकाए जाने पर सम्बंधित व्यक्ति को सरकार कर्जा चुकाएगी।
- गवर्नमेंट ने खुद कर्जा दिया हो तो यदि जागीरदार कर्जा न दे तो जागीर से कर्जा लेने को सरकार स्वतंत्र रहेगी।

जागीरदारों को फौजदारी एवं दीवानी न्याय सम्बन्धी अधिकार दिया जाना।[54]

- जागीरदार न्यायिक अधिकार पाने का दावा नहीं कर सकते थे।
- जागीरों को न्यायिक सम्बन्धी अधिकार के लिए चार श्रेणियों में बांटा गया था।
- दर्जे अव्वल – वह जागीर जिसकी आदमनी पचपन हजार रूपये ज्यादा हो।
- दर्जे दोयम – वह जागीर जिसकी आमदनी बीस हजार रूपये से ज्यादा हो किन्तु पचास हजार रूपये से कम हो।
- दर्जेय सोयम – वह जागीर जिसकी आमदनी दस हजार से ज्यादा हो किन्तु 20 हजार से ज्यादा न हो।
- दर्जे चहारूम – वह जागीर जिसकी आमदनी दस हजार रूपये कम न हो।

दर्जे अव्वल जागीर की न्यायिक अधिकार :–

- ग्वालियर कानून के अनुसार फौजदारी अधिकार दिए गए थे किन्तु इन मुकदमों की सुनवाई प्रांतीय अदालत में होती थी।
- दो हजार रूपये तक दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त था।
- किसी मुलजिम को इलाके में बाहर करने के लिए दरख्वास्त सूबे साहब के जरिए से की जाएगी।

जागीरदार नंबर दोयम व सोयम को मजिस्ट्रेट 2 का दर्जा दिया जाएगा। मुकदमा प्रांतीय अदालत में चलेगा। दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकेगा।

चाहरूम जागीरों के न्यायिक अधिकार :–

- दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकता था जिनकी आयु 20 रूपये से ज्यादा न हो।
- जागीरदारान दीवानी व फौजदारी के अधिकार अपनी जागीर तक ही रखेंगे।
- जागीरदार सजाए ताजियाना (मौत) का हुक्म नहीं दे सकती थी।

ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत अमझेरा में न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप[55] 1844 में देवराव मामा साहिब ने जो महाराजा जयाजीराव के मंत्री थे सरकार ने पहली बार नियमित अदालत स्थापित की। यह अदालत हुजूर अदालत कहलाती थी। चूंकि जागीरदार तथा इजारेदार अब भी न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में लाते थे। अत' शास्त्री जो इस अदालत का मुख्तार न्यायाधीश के रूप में पीठासेन अधिकारी होता था लश्कर और ग्वालियर तथा कुछ आसपास के गांव के प्रकरणेां और मुकदमों की सुनवाई करता था। न्यायाधीशों के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई मंत्री के द्वारा की जाती थी।

ग्वालियर राज्य की न्याय प्रणाली की महाराजा के मंत्री स्तर दिनकर राव के समय में प्रथम बार गंभीरतापूर्वक परीक्षा की गई तथा उसमें सुधार किए गए। इसके अनुसार 1853 में जागीरदारों तथा इजारेदारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली न्यायिक शक्तियों को वापस ली गई और जिले का न्याय प्रशासन सूबाओं तथा कामविसदारों को सौंप दिया गया। सूबा जिले में न्यायिक शक्तियों को

प्रयोग में लाता था और परगने में उनकी सहायता के लिए कामविसदार होता था जिसे तहसील स्तर पर मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी तथा सिविल जज द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त होती थी। कामविसदार की सहायता के लिए नायब कामविसदार होते थे जिन्हें मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी की शक्तियां प्राप्त होती थीं।

सरसूबा की अदालत होती थी जो प्रांत अदालत कहलाती थी यद्यपि सन् 1862 में यह अदालत समाप्त कर दी थी तथापि 1886 में यह पुनः स्थापित की गई और इसे मूल तथा अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार सौपे गए। सूबा अदालत के निर्णय के विरूद्ध प्रांत अदालत को अपील होती थी। जिला स्तर पर सूबा अदालत को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त होता था और यह परगना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करती थी। सूबा साहब सूबा अदालत का तथा कामविसदार परगना की अदालत का पीठासीन अधिकारी होता था और वह दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था। इनके अतिरिक्त ऐसे छोटे–छोटे मामले जिनका मूल्य 50 रूपये से अधिक न हो निपटाने के लिए 1886 में ग्वालियर में खफीफा अदालत की स्थापना की गई थी।

न्यायिक व्यवस्था का क्रम

सदर अदालत

प्रांत अदालत

जिला अदालत

परगना अदालत

ग्वालियर राज्य को विभिन्न जिलों द्वारा दिए गए राजस्व का प्रतिशत निम्नलिखित है:–[56]

जिला	प्रतिशत (राजस्व)
ग्वालियर	13
नरवर	40

भिण्ड	98
श्योपुर	25
भिलसा	85
ईसागढ़	86
तवरधार	99
ग्वालियर प्रांत	65
उज्जैन	69
मंदसौर	37
अमझेरा	64
शाजापुर	75
मालवा प्रांत	64
होल स्टेट	65

संदर्भ ग्रंथ :–

1) राठौड़, ठाकुर रघुनाथसिंह, अमझेरा राज्य का इतिहास, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केन्द्र, 2007, पृष्ठ–108।

2) द्विवेदी, चौहान, डॉ. रेखा, डॉ. सहदेव, मालवा के राठौड़, श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, 2012, पृष्ठ–177

3) भोपावर पॉलिटिकल एजेंसी, फाईल न. 728, 1857–58, पृष्ठ–21

4) सर रॉबर्ट हेमिल्टन एजेंसी, गवर्नर जनरल सेंट्रल फॉर इंडिया टू जी.एफ. एडमांस्टन सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नं. 321, केम्प ग्वालियर, 17 जुलाई, 1858।

5) फाल्के, पंडितराव कृ.द., जयाजी विजय, आलीजाह दरबार प्रेस, ग्वालियर, संवत 2000, पृष्ठ–150।

6) लेटर्स फ्राम दि रेजीडेन्ट एट ग्वालियर टू द एजेन्ट टू द गवर्नर जनरल इन सेंट्रल इंडिया फ्राम 30 जून, 1860 टू द, 26 दिसम्बर, 1860।

7) मौजा–मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागो में ग्राम को गांव या डीह कहा जाता था परन्तु राजस्व अभिलेखों में सर्वत्र यह मौजा वर्णित है।

8) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–69, सन् 1913, ग्वालियर।

9) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–94।

10) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिलद–1, पृष्ठ–119, 123।

11) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–69।

12) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–220।

13) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–302।

14) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–312।

15) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–317–319।

16) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–317–325।

17) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–337–339।

18) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–337–339।

19) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–426।

20) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–428।

21) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–430।

22) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–487।

23) इसके अन्तर्गत वे जागीरे आती थी जिनको ग्वालियर दरबार से सनद प्राप्त होती थी।

24) इसके अन्तर्गत वे जागीरे आती थी जिनको ग्वालियर दरबार से सनद प्राप्त नहीं होती थी।

25) शिकमी–शिकमी के अन्तर्गत वे जागीरें आती हैं जो ग्वालियर तारीख जागीरदारान के अनुसार लफ्ज जागीरदार शब्द के अन्तर्गत नहीं आती है।

26) अमझेरा राज्य का इतिहास, पृष्ठ–08–277

27) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द 2 भाग–4, पृष्ठ–101, अमझेरा राज्य का इतिहास, पृष्ठ–273।

28) अमझेरा राज्य का इतिहास, पृष्ठ–278।

29) गुरां ग्रंथ 6 पत्र 255 ब

30) गुरां ग्रंथ 6 पत्र 255 ब – 256 अ

31) गुरां निर्भयसिंह संग्रह ग्रंथ 6 पत्र सं. 245 अ

32) गुरां निर्भयसिंह संग्रह ग्रंथ 6 पत्र सं. 245 ब

33) गुरां निर्भयसिंह संग्रह ग्रंथ 6 पत्र सं. 218 अ

34) मालवा के राठौड़, पृष्ठ–300

35) गुरां ग्रंथ 6 पत्र 223 अ

ग्वालियर तारीख जागीरादारान जिल्द 2 पृष्ठ–627

मालवा के राठौड़ पृष्ठ–304

36) गुरां ग्रंथ 6 पत्र संख्या 223 अ।

37) मालवा के राठौड़, पृष्ठ–312

38) तारीख ग्वालियर जागीरादान जिल्द 2 भाग 4 पृष्ठ–82

अमझेरा राज्य का इतिहास पृष्ठ–262

मालवा के राठौड़ पृष्ठ–315

39) गुरां ग्रंथ 6 पत्र संख्या 260 ब

अमझेरा राज्य का इतिहास पृष्ठ–231

मालवा के राठौड़ पृष्ठ–318

40) ग्वालियर, तारीख जागीरदारान जिल्द 2 भाग 3 पृष्ठ–626

41) गुरां निर्भयसिंह संग्रह ग्रंथ 6 पत्र 259

मालवा के राठौड़ पृष्ठ–32

42) गुरां संग्रह ग्रंथ 6 पत्र 247 अ

अमझेरा राज्य का इतिहास पृष्ठ–217

मालवा के राठौड़, पृष्ठ–323

43) गुरां संग्रह ग्रंथ 6 पत्र संख्या 269 ब

44) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द 2 भाग 4 पृष्ठ–101

45) मालवा के राठौड़, पृष्ठ–328

46) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द 2 भाग 4 पृष्ठ–98

47) गुरां संग्रह, ग्रंथ संख्या पत्र 221 ब

48) गुरां ग्रंथ 6 पत्र संख्या 231 ब

मालवा के राठौड़, पृष्ठ–333

49) ग्वालियर, टुडे, पृष्ठ–16

50) ग्वालियर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ–274

ग्लालियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, पृष्ठ–7

51) पॉलिसी दरबार, जागीरदारान व मनसबदार साहब साहबान, रियासत ग्वालियर जिल्द नं. 11, पृष्ठ–25

52 पॉलिसी दरबार, जागीरदार व मनसबदार साहिबान, पृष्ठ–32

53) ग्वालियर तारीख जागरदारान जिल्द–1, पृष्ठ–19–20

54) ग्वालियर तारीख जागीरदारान जिल्द–1, परिच्छेद 13, पृष्ठ–20

55) ग्वालियर स्टेट गजेटियर, पृष्ठ–302

56) ग्वालियर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, 1905–06, पृष्ठ–10

....